न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 84 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/93)
पंजीयन दिनांक– 18.02.2021
निर्णय दिनांक– 07.09.2021

1. श्री मदनलाल पिता काशीराम सुथार, निवासी सावा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. श्री फूलचंद पिता काशीराम सुथार, निवासी सावा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री रमेशचन्द्र पिता काशीराम सुथार, निवासी सावा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
3. भूमिधारी, तहसीलदार, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री पी. सी. पालीवाल –अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री सुनिल शर्मा –अधिवक्ता रेस्पोडंट संख्या 1
3. श्री संजय सेन –अधिवक्ता रेस्पोडंट संख्या 2
2. राजकीय अभिभाषक –अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के
प्रकरण संख्या–235 / 2015 निर्णय दिनांक 26.05.2016

निर्णय

दिनांक 07.09.2021

अपीलांट्स द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 235 / 2015 निर्णय दिनांक 26.05.2016 के विरूद्ध दिनांक 05.10.2016 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन के साथ न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को पेश की गई। न्यायालय

संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 18.02.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम सावा, तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 2471 की इन्द्राज दुरूस्ती बाबत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 3 के विरूद्ध दिनांक 30.06.2015 को प्रस्तुत कर अभिवचन किया गया कि आराजी नम्बर 2471 पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है जिससे उक्त आराजीयात के खातेदार मदनलाल के बजाय उनके नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराये जाने के अधिकारी है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र 235/2015 निर्णय दिनांक 26.05.2016 से रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 26.05.2016 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– *"पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया। प्रार्थीगण का कहना है कि प्रार्थना पत्र में अंकित आराजीयात को विपक्षी द्वारा जरिये पंजीकृत रिलीज डीड से प्रार्थीगण के पक्ष में हक त्याग कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था, किन्तु बाद में हुए विभाजन से रिलीज की गई आराजी संख्या 2471 विपक्षी संख्या 1 के नाम अंकित हो गई है। जिसे प्रार्थीगण अपने खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी है। प्रार्थीगण ने कथन की पुष्टि में पंजीकृत रिलीज डीड विलेख दिनांक 10.02.1987 की छायाप्रति प्रस्तुत की जिसके अवलोकन से प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षी द्वारा आराजी संख्या 570, 571, 572, 1761, 1762, 1763, 2469, 2470, 2471, 2473, 2474 किता 11 रकबा 4.46 हैक्टेयर प्रार्थीगण के पक्ष में रिलीज करने का अंकन है, तथा ग्राम सावा की जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 की खाता संख्या 401 के अनुसार विपक्षी मदनलाल पिता काशीराम के खातेदारी में आराजी संख 2471 अंकित है। प्रार्थीगण रिलीज की गई आराजी संख्या 2471 को पुनः अपने खातेदारी*

में दर्ज कराने के प्रथमदृष्टया अधिकारी पाये जाते है जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज दुरूस्ती का स्वीकार किया जाकर ग्राम सावा, पटवार हल्का सावा की जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 की खाता संख्या 401 में अंकित आराजी 2471 रकबा 0.25 हैक्टेयर को प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज किये जाने तथा जमाबंदी में दर्ज मदनलाल पिता काशीराम का नाम विलोपित करने के आदेश दिये जात है। तद्नुसाद राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। "

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पी. सी. पालीवाल उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुनिल शर्मा उपस्थित व रेस्पाडेंट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय सेन उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री मुरलीधर पालीवाल उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 01.09.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दहराते हुए अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कोई नोटिस अथवा सूचना पत्र मदनलाल को जारी नहीं किये बिना उसकी पीठ के पिछे पूर्ण कानूनी प्रक्रिया अपनाये बिना अथवा आपसी सहमति प्राप्त किए बिना मनमकसूद निर्णय वास्तविकता एवं विधि के विपरीत, बिना कोई आधार एवं कारण के अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि अपीलांट के नाम से हटाकर रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी में दर्ज करने एवं इसका अंकन जमाबंदी में दर्ज करने का गलत निर्णय प्रदान किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई चित्तौड़गढ़ मुख्यालय पर रखी जाती रही एवं अचनाक कोई सूचना पत्र अपीलांट के नाम भेजे बिना अथवा कोई सूचना के पत्रावली न्याय आपके द्वार शिविर सावा में रख निर्णय प्रदान किया, जो

प्राकृतिक न्याय के विपरीत है एवं अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिये बिना तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 की परिसीमा में नही होने से उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में गलत तथ्य प्रस्तुत कर अपीलांट को धोखा देकर आदेश प्राप्त किया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अन्य आराजी के साथ उक्त आराजी के खातेदारी अधिकारों की घोषण का वाद अपीलांट एवं अन्य के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सन् 2012 में मुकदमा नम्बर 211/2012 प्रस्तुत किया उक्त वाद दिनांक 17.06.2015 खारिज किया जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्द्राज दुरूस्ती के प्रार्थना पत्र में अनुतोष प्रदान किया जाना संभव नही होना अवगत कराते हुए अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः R. B. J. (17) 2010 Page 570, 2008 (2) RLW Page 975 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाने बाबत निवेदन किया गया।

रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ताओं ने अपनी बहस में बताया कि अपील में अंकित आराजीयात को अपीलांट द्वारा जरिये पंजीकृत रिलीज डीड से रेस्पोडेंट के पक्ष में हक त्याग कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था, किन्तु बाद में हुए विभाजन से रिलीज की गई आराजी संख्या 2471 अपीलांट के नाम अंकित हो गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती में अपने निर्णय दिनांक 26.05.2016 से नियमानुसार एवं उचित निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया प्रकरण में अधीनस्थ न्याययाल उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 26.05.2016 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्ररकण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.05.2016 को हुआ है तथा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 05.10.2016 को प्रस्तुत की गयी है अर्थात् अपील प्रस्तुत करने में करीब 3

माह का विलम्ब हुआ है परन्तु इसके लिए अपीलाण्ट द्वारा दफा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत किया है, उसमें यह वर्णित किया है कि उसे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना किया गया है, ताइद में शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड के अनुसार अपीलाण्ट विपक्षी को सुनवाई का कोई अवसर दिया गया हो अथवा उसे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्व जानकारी होने की कोई साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं है, अतएवं अपीलाण्ट के दफा 5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन एवं अखण्डित शपथ–पत्र के आधार पर मियाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अब हम प्रकरण में अपीलाण्ट के अपील मेमों के आधार पर गुणावगुण पर विवेचन करना उचित समझते हैं। अपीलाण्ट का सर्वप्रथम उज्र यह है कि अधीनसथ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिक सम्मन जारी नहीं किये गये एवं अपीलाण्ट को इस प्रकरण में सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 30.06.2012 को प्रस्तुत हुआ एवं उसमें दिनांक 16.09.2015 की पेशी तय की गयी जो निरन्तर पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में दिनांक 16.05.2016 तक आदेशिका पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति में दर्ज की जाती रही एवं दिनांक 16.05.2016 को दिनांक 26.05.2016 के लिए तिथि मुर्कर की गयी। दिनांक 26.05.2016 को पत्रावली को लोक अदालत में न्याय आपके द्वार शिविर में रखी गयी, जिसके नोटिस भी विपक्षी अपीलाण्ट को तामील होना नहीं पाया गया एवं उस नोटिस पर यह स्पष्ट अंकित है कि प्रार्थी के मकान पर कोई नहीं मिला, तद्नुसार यह पूर्णतः स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सूचित किये बिना, सुने बिना, उसकी अनुपस्थिति में लोक अदालत में निर्णय कर दिया है। अपीलाण्ट द्वारा इस बाबत् न्यायिक नजीर 2008(2) आर.एल.डब्ल्यू.पेज 975 सुप्रीम कोर्ट पेश की है जिसमें यह वर्णित किया गया है कि लोक अदालत में सिर्फ उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाना चाहिये जहां पक्षकार सहमत हो अन्यथा प्रकरण को विधिक सुनवाई कर ही

निर्णित किया जाना चाहिये। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सूचित नहीं किया गया है व न ही सुना गया है तथा उसकी अनुपस्थिति में रेस्पोंडेण्ट प्रार्थी के आवेदन पर सिर्फ उसे सुनकर निर्णय पारित कर दिया है जो प्रथम दृष्टया न्यायिक दृष्टांतों, प्राकृतिक न्याय एवं विधि के विरूद्ध है। अपीलाण्ट का अन्य उज्र यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की परिसीमा में नहीं आता एवं रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व 2 ने गलत तथ्य प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय को धोखा देकर निर्णय करवाया है। रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अन्य आराजी के साथ विवादित आराजी नं0 2471 को लेकर भी एक वाद मुकदमा नं0 211/2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के सक्षम सन् 2012 में प्रस्तुत किया था व उक्त वाद एवं निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2015 को ही खारिज कर दी गयी है एवं वाद में जब रेस्पोंडेण्ट प्रार्थी को अनुतोष नहीं मिला तो उसके स्थान पर इन्द्राज दुरूस्ती के प्रकरण में ऐसा अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा अपील में उक्त वाद का निर्णय एवं डिक्री प्रस्तुत की है जिसमें रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व 2 द्वारा आराजी नं0 2471 के साथ अन्य आराजीयात को लेकर अपीलाण्ट व अन्य पक्षकारान के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया था, जो हस्ब अपीलाण्ट के कथनानुसार खारिज होना प्रमाणित पाया गया अर्थात् यह सुस्पष्ट होता है कि रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व 2 प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय को पूर्ण तथ्यों से अवगत नहीं करवाया तथा जिस आराजी को लेकर वाद खारिज हो चुका था, उक्त खारिजशुदा वाद के स्थान पर इन्द्राज दुरूस्ती का आवेदन पेश कर दिया एवं पूर्व के वाद खारिज होने की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय को उपलब्ध नहीं करवायी। अपीलाण्ट द्वारा पेशशुदा न्यायिक नजीर आर.बी.जे. (17)2010 पेज 571 में यह न्यायिक दृष्टान्त प्रतिपादित किया गया है कि जब इन्द्राज दुरूस्ती के प्रकरण में तथ्यों को छिपाकर कोई आवेदन किया जाता है तो ऐसे आवेदन को खारिज किया जाना चाहिये। हम यह पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व 2 द्वारा स्वच्छ हाथों से भी इन्द्राज दुरूस्ती का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया था।

उपरोक्त समग्र विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुने बिना व सूचित किये बिना लोक अदालत में इन्द्राज दुरूस्ती का जो आवेदन स्वीकार किया, वह प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध था तथा प्रकरण में हम यह पाते हैं कि विवादित आराजी नं0 2471 को लेकर रेस्पोंडेण्ट प्रार्थी द्वारा पेश किये गये अपीलाण्ट के विरूद्ध वाद को खारिज कर दिया गया है तो अब ऐसे प्रकरण में इन्द्राज दुरूस्ती के आवेदन को कोई महत्व ही नहीं रहता क्योंकि वाद नियमित पूर्ण विधिक प्रक्रिया के साथ निर्णित होता है जबकि इन्द्राज दुरूस्ती धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनिमय का प्रकरण संक्षिप्त कार्यवाही का प्रकरण होता है अर्थात् वाद का निर्णय हमेशा इन्द्राज दुरूस्ती के प्रकरण पर उच्चता रखता है, तद्नुसार रेस्पोंडेण्ट प्रार्थी का वाद पूर्व में खारिज हो जाने के कारण अब इन्द्राज दुरूस्ती के प्रकरण में किये गये निर्णय का कोई महत्व नहीं रहता, अतएवं अपील अपीलाण्ट उपरोक्तानुसार स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 235/2015 में किये गये निर्णय दिनांक 26.05.2016 को अपास्त किया जाता है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर